न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 5/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. लक्खा पुत्र पन्ना कौम बैरवा निवासी खेड़ी (मृतक)
1./1 राधेश्याम पुत्र लक्खा
1/2 प्रहलाद पुत्र लक्खा
1/3 जोधराज पुत्र लक्खा
1/4 लालचंद पुत्र लक्खा जातिगण बैरवा निवासीगण खेड़ी (श्यामपुरा)
1/5 यशोदा पुत्री लक्खा (मृतक)
1/5/1 टीना पुत्री यशोदा पत्नि धनराज कौम बैरवा निवासी गन्दोलिया, तहसील अटरू
1/5/2 सोनू उर्फ ज्योति पत्नि पवन कुमार कौम बैरवा निवासी खेड़ा रसूलपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) (अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 18.10.2024

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 4 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी I वाके ग्राम खेड़ी तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में खसरा नंबर 4 खाल रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। खसरा नंबर 4 खाल रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला के नवीन ख0नं0 4 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी I कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से लक्खा पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी खेड़ी के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066–69 अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन [illegible] कारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट [illegible] संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, [illegible] 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है, अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1/1 तथा अप्रार्थी कम 1/5/1 एवं अप्रार्थी कम 1/5/2 स्वंय उपस्थित हुए परन्तु जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी कम 1/2 ता 1/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

3— हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं उपस्थित स्वंय अप्रार्थी कम 1/1 की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में खसरा नंबर 4 खाल रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला के नवीन ख0नं0 4 रकबा 0.13 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.नाला की किस्म बारानी I कायम कर अवैधानिक रूप से लक्खा पुत्र पन्ना कोम चमार निवासी खेड़ी के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066–69 अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— दौराने बहस उपस्थित अप्रार्थी कम 1/1 ने कथन किया कि उक्त आराजी समतल कृषि योग्य भूमि है, मौके पर कोई खाल–नाला मौजूद नहीं है। मृतक अप्रार्थी कम 1 के वारिसान का जीविकोपार्जन इसी भूमि से होता है। वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 के वारिसान विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी कम 1/1 की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम खेड़ी खसरा नंबर 4 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज है। जिसका लक्खा पुत्र पन्ना कोम चमार निवासी खेड़ी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 4 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार लक्खा पुत्र पन्ना कोम चमार निवासी खेड़ी को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। लक्खा पुत्र पन्ना कोम चमार निवासी खेड़ी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व पाते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

7– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी कम 1 के वर्तमान में वाके ग्राम खेड़ी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.13 है. किस्म बारानी । जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 4 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला से बना है जिसका लक्खा पुत्र पन्ना कोम चमार निवासी खेड़ी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:50:05 IST
Reason: SelfAttested